



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2064]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2017/श्रावण 4, 1939

No. 2064]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2017/SRAVANA 4, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2017

का.आ. 2329(अ).—केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 293 की उप-धारा (4) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों को विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:—

- (i) निदेशक, कोई वैज्ञानिक या नोडल अधिकारी, वन्य जीव न्यायालयिक और आनुवंशिक संरक्षण सेल, भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून;
- (ii) निदेशक, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता;
- (iii) भारसाधक भेषज अभिज्ञान प्रयोगशाला, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता;
- (iv) निदेशक या प्रधान कीट विज्ञान प्रभाग, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून।

[फा. सं. 2/1/2015 न्यायिक सेल-I]

डॉ. आर. के. मित्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2017

S.O. 2329(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (4) of Section 293 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government thereby specifies the following Government scientific experts, for the purposes of the said saction, namely :—

- (i) the Director or a Scientist, or the Nodal Officer, Wildlife, Forensic and Conservation Genetics Cell, Wildlife Institute of India, Dehradun;
- (ii) the Director, Zoological Survey of India, Kolkata;
- (iii) the Director or Scientist-in-charge, Pharmacognosy Laboratory, Botanical Survey of India, Kolkata;
- (v) the Director or Head, Entomology Division, Forest Research Institute, Dehradun.

[F. No. 2/1/2015-Judl. Cell-I]

Dr. R. K. MITRA, Jt. Secy.